

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—131/2026

पटना, दिनांक :— / / 2026

डॉ० बेगम रुबिया, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर—BHS), शिशु रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनांक—01.05.2026 से 27.10.2026 तक कुल—180 (एक सौ अस्सी) दिनों के द्वितीय संतान हेतु दिनांक—01.05.2026 के प्रभाव से मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :—17/विविध— 01—131/2026 /030(17) पटना, दिनांक :—17/ 8 /2026

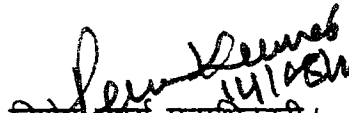
प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डॉ० बेगम रुबिया के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अवकाश आदेयता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डॉ० बेगम रुबिया, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर—BHS), शिशु रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।